भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *484
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

बच्चों की देखभाल से संबंधित संस्थान

***484. डॉ. थोल तिरुमावलवन:**
डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, 2022 के अनुसार अनुमानित तीन करोड़ अनाथ और परित्यक्त बच्चों में से केवल लगभग 2.6 लाख बच्चे ही देश में बच्चों की देखभाल से संबंधित 7000 संस्थानों (सीसीआई) में रहते हैं तथा इस प्रकार बड़ी संख्या में बच्चे संस्थागत देखभाल से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आने के बावजूद, उक्त 28 प्रतिशत सीसीआई राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं और सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 39.6 प्रतिशत संस्थानों का राज्य निरीक्षण समितियों द्वारा समय-समय पर दौरा नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

“बच्चों की देखभाल से संबंधित संस्थान” के संबंध में डॉ. थिरुमावलवन थोलकाप्पियन और डॉ. डी रवि कुमार द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 484 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण), 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाकर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसमें बच्चे का सर्वोत्तम हित सुरक्षित करने के लिए देखभाल और संरक्षण के मानकों को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाओं की परिकल्पना की गई है जिसमें राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल देखभाल संस्थान शामिल हैं। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 के तहत, बाल कल्याण समितियों को बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है। इसी तरह, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 04-09 किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 109) में क्रमशः राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत हिस्सेदारी के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से ‘मिशन वात्सल्य’ नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि से सहायता करते हैं। गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत, जिला बाल संरक्षण इकाई जिला मजिस्ट्रेट की समग्र देखरेख में कार्य करती है ताकि सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों यानी बाल देखभाल संस्थानों और प्रदान की जाने वाली देखभाल की समीक्षा, निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान की जाती है। इसे आगे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश 2024 शामिल हैं।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि मिशन वात्सल्य योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय, क्षेत्रीय स्तर पर मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य और संघ राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करता है। राज्य और जिला स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाइयां इस योजना की दिन-प्रतिदिन निगरानी करती हैं। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन है।

(ग) और (घ) : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि उनकी रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) की धारा 41(1) के अंतर्गत, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के आवास के लिए राज्य सरकार या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी संस्थाओं को जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 42 में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को रखने वाली संस्था के प्रभारी किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है जो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 और इसके तहत बनाए गए नियमों में राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण का प्रावधान है।

जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष अपर जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। जिला स्तरीय निरीक्षण समिति जिले में सभी सीसीआई का निरीक्षण करती है तथा जेजे अधिनियम, 2015 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीसीआई के सुधार और विकास के लिए निष्कर्षों की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करती है। जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिले में केंद्र बिंदु होने के नाते निरीक्षण समितियों की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाते हैं। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

*****